



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
Prof. Krishna Kumar Singh
कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 66/2014/स्कू.बो./02/762
दिनांक : 26. 06. 2018

अधिसूचना

शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के गठन के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 066/2014/स्कूल. बो./02/ 234, दिनांक 02. 06. 2017 के क्रम में **स्कूल बोर्ड (School Board)** का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है-

1.	संकायाध्यक्ष	:	अध्यक्ष
2.	विद्यापीठ के अंतर्गत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष	:	विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग
3.	विद्यापीठ के सभी प्रोफेसर	:	सदस्य
4.	विद्यापीठ के सभी विभागों/केंद्रों से एक एसोशिएट प्रोफेसर चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर।	:	डॉ. शिरीष पाल सिंह शिक्षा विभाग
5.	विद्यापीठ के सभी विभागों/केंद्रों से एक सहायक प्रोफेसर चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर।	:	सुश्री सारिका राय शर्मा शिक्षा विभाग
6.	कुलपति द्वारा नामित भूतपूर्व विद्यार्थी	:	श्री महेश तिवारी (मनोविज्ञान विभाग)
7.	कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ	:	प्रो. नमिता रंगनाथन शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली प्रो. चन्द्र भूषण शर्मा अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोयडा-201309 (उ.प्र.)


* विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 66/2014/स्कूल बो./02/234, दिनांक 02.06.2017 के अनुसार क्रम संख्या 06 और 07 के सदस्यों को कार्यकाल 01. 06.19 तक है।

क्रम संख्या 04 और 05 के सदस्य का कार्यकाल इस अधिसूचना के अनुसार दो वर्ष के लिए होगा। तीन सदस्यों की उपस्थित से बैठक का कोरम पूरा होगा जिसमें एक बाह्य विषय विशेषज्ञ का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जाती है।

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ को संबंधित सभी को सूचित करने के अनुरोध के साथ।
4. अकादमिक विभाग।
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल।


(कृष्ण कुमार सिंह) 26/06